UPLOAD DATE 12.04.2018

कार्यालय नगर पंचायत अछल्दा (औरैया)

पत्र संख्या– 03/न0पं0अछल्दा–पंजी0सू0/2018–19

दिनांक: 11 अप्रैल, 2018

–: ई–टेण्डरिंग हेतु ठेकेदारी पंजीकरण/नवीनीकरण सूचना:–

सर्वसधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि नगर पंचायत अछल्दा (औरैया) अपनी निकाय सीमान्तर्गत सिविल एवं अन्य कार्यों (भवन/सड़क/नाला/नाली, निर्माण/मरम्मत व आपूर्ति/जनशक्ति) के लिये वित्तीय वर्ष 2018–19 में ई–टेण्डरिंग/ई–प्रोक्योरमेण्ट प्रणाली के अन्तर्गत दिनांक: 13.04.2018 से 23.04.2018 तक कार्यालय द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप पर ठेकेदारी पंजीयन हेतु आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते है, जो अध्यक्ष/अधिशाषी अधिकारी को संम्बोधित होगा।समयोपरान्त प्रापत आवेदन पत्रों पर कोई बिचार नहीं किया जायेगा, तथा ऐसे आवेदन पत्र स्वात: निरस्त समझें जायेगें। निर्धारित पंजीयन प्रपत्र रू0 1,000.00 (एक हजार मात्र) कार्यालय नगर पंचायत अछल्दा में जमा कर प्राप्त किये जा सकेंगें। पंजीयन कराने वाले ठेकेदारों/फर्मों को रू0 10,000.00 (रू0 दस हजार मात्र) पंजीकरण/नवीनीकरण शुल्क जमा करना होगा, जो भविष्य में कभी वापस नहीं किये जायेगा। किसी भी ठेकेदार/फर्म का पंजीकरण/नवीनीकरण करने या न करने का अधिकार अधिशाषी अधिकारी में निहित होगा

ठेकेदारों/फर्मों को पंजीकरण एवं नवीनीकरण हेतु प्रार्थना पत्र के साथ निम्नांकित स्व–प्रमाणित दस्तावेज/प्रपत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।

1. जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्गत हैंसियत (कम से कम रू0 दस लाख तक) एंव चरित्र प्रमाण पत्र जो आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के माह के अन्तिम तिथि तक बैध्य हो तथा आगामी माहों की बैध्यता हेतु उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित का पंजीयन स्वत: निरस्त माना जायेगा, जिसके लिये सम्बन्धित स्वंय उत्तरदायी होगा।
2. पंजीकरण/नवीनीकरण के निर्धारित शुल्क के साथ रू0 100.00 मात्र (एक सौ मात्र) के स्टाम्प पेपर पर नोटरी शपथ पत्र संलग्न करना करना अनिवार्य होगा, जिसका आलेख्य पत्र कार्यालय से उपलब्ध कराया जायेगा।।
3. ठेकेदार/फर्म का आयकर विभाग में पंजीयन प्रमाण पत्र।
4. जी0एस0टी पंजीयन प्रमाण पत्र (जी0एस0टी0 नम्बर सहित)
5. किसी सरकारी विभाग में कार्य कराने का अनुभव प्रमाण पत्र।
6. ठेकेदार/फर्म के द्वारा कार्यालय में कार्यकरने वाले मजदूरों की सूची उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, तथा श्रम विभाग में मजदूरों का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में ठेकेदार का पंजीकरण/नवीनीकरण किया जाना सम्भव नहीं होगा।
7. आधार कार्ड
8. पासपोर्ट साहज 02 अदद नवीनतम् फोटों।
9. आवेदनकर्त्ता को डिजिटल सिग्नेचर प्रस्तुत करना होगा।
10. उपरोक्त पंजीकरण/नवीनीकरण बिना श्रेणी के किये जा रहे है, आवश्यकतानुसार श्रेणीवार पंजीयन/नवीनीकरण करने पर बिचार किया जा सकता है।

अतएव इच्छुक व्यक्ति उक्त निर्धारित अवधि तक निर्धारित प्रारूप पर समस्त बाछित संलग्नकों सहित आवेदन पत्र कार्यालय नगर पंचायत अदल्दा (औरैया) में पंजीयन/नवीनीकरण हेतु प्राप्त करा सकते है। उक्त सूचना जनपद औरैया की बेवसाईट WWW.auraiya.up.nic.in पर भी प्राप्त की जा सकती है। अन्य नियम/शर्तें किसी भी कार्य दिवस में पटल सहायक से देखी व प्राप्त की जा सकती है।

(सुनील कुमार सिह)
अधिशाषी अधिकारी
नगर पंचायत अछल्दा
औरैया

(राजेश कुमार)
अध्यक्ष
नगर पंचायत अछल्दा
औरैया

पत्र संख्या एवं दिनांक तदैव:

प्रतिलिपि– 1. विज्ञापन व्यवस्थापक, समाचार पत्र दैनिक जागरण व अमर उजाला को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्त सूचना समाचार पत्र के आगामी अंक में प्रकाशित कराते हुये विज्ञप्ति की 05 प्रतियों सहित बिल इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी औरैया की सेवा में इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि जनपद औरैया वेबसाइड WWW.auraiya.up.nic.in पर सूचना अपलोड करने का कष्ट करें।

3. कार्यालय नगर पंचायत अछल्दा के सूचना पट पर चस्पा हेतु।

4. श्री महेंन्द्रपाल सिह, लिपिक, को उपरोक्त की कार्यवाही कराने हेतु पत्रावली अनुरक्षण हेतु।

5. प्रभारी अधिकार, स्थानीय निकाय/अपर जिलाधिकारी महोदय, औरैया की सेवा में सादर सूचनार्थ।

05 April 18

(सुनील कुमार सिह)
अधिशाषी अधिकारी
नगर पंचायत अछल्दा
औरैया

(राजेश कुमार)
अध्यक्ष
नगर पंचायत अछल्दा
औरैया